आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

RBA No. 19/2023
GST Circular No. 05/2023

No. 2017/AC-II/1/6/GST Main/Vol. IV

New Delhi, dated 26.05.2023

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub:- Applicability of GST on Deposit Works.
Ref:- NR's letter no. 2021/Taxation/GST/Misc.Corresdt18.04.2023

A reference from Northern Railway has been received on the applicability of GST and treatment of ITC on Deposit Works executed by Railways and with respect to similar works executed by other Governments/PSUs for Railways against advances paid to them. The matter has been examined. The clarification on the queries is as follows:

	ISSUE	CLARIFICATION
1	**Taxability of the Transaction**	Vide S. No. 6, 7 and 8 of notification no.12/2017 - Central Tax Rate, supply of works contract service by IR is liable to GST, except when provided to the following persons i.e., supply of works contract service by IR to the following persons is exempt from levy of GST- • Another Central Government, State Government, Union territory or local authority • Non- business entities • Business entity with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding FY as makes it eligible for exemption from GST registration. Further, vide S. No. 5 of notification no. 13/2017 - Central Tax (Rate), supply of works contract service by IR is liable to GST under reverse charge mechanism (RCM). The supply of works contract services by IR on Deposit Work basis is liable to GST under reverse charge unless exempted from levy of GST (i.e., where the depositing firm falls in the above list of recipients).

	ISSUE	CLARIFICATION
2	**Raising of tax invoice to the Depositing firm: Time of issue of invoice**	Wherever the supply of works contract services in the manner as at (1) above, is taxable, IR will be required to issue a Tax Invoice. Time of issue of invoice shall be based on the contractual conditions. The issue of invoice shall be on the due date of payment wherever the due date of payment is ascertainable from the contract. However, where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the tax invoice shall be issued at the time of receipt of payment by IR. Further, in case the works contract services are exempt, IR will be required to issue a Bill of Supply. However, it may be noted that on receipt of deposit in advance from the depositing firm, IR will be required to issue an advance receipt voucher having prescribed particulars as laid down under the GST law, wherever the issuance of tax invoice/bill of supply is not immediately due. Depositing firm would be liable to pay GST under RCM on such advance paid to IR. If the advance paid is toward GST exempt supply, no GST on the advance needs to be discharged by the depositing firm.
3	**Raising of tax invoice to the Depositing firm: RCM flagging**	The supply of works contract services by IR to the depositing firm is liable to GST under reverse charge unless exempted from levy of GST i.e. when such services are being supplied to another Central Government, State Government, Union territory or local authority, non- business entities and to the business entity with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding FY as makes it eligible for exemption from GST registration.

	ISSUE	CLARIFICATION
		IR will be required to issue a Tax Invoice in the CRIS GST manual utility, based on the contractual conditions with RCM as 'Yes' (in case of taxable) or Bill of Supply (in case of exemption), as the case may be, containing all the prescribed particulars.
4	**ITC flagging of expenditure incurred for execution of work (payment made to contractor)**	Since expenditure incurred by IR is to be used exclusively for supplying works contract service ITC of the same shall not be available. As such outward supply of IR is liable to GST under RCM it is treated as an exempt supply for the purpose of ITC eligibility. ITC flagging of such expenditure shall be T2.
5	**Passing of credit to depositing party against above.**	Since no ITC is available to IR hence question of passing credit to Depositing Party does not arise.
6	**Applicability of GST when IR is Depositing party with Central/State government**	Vide S. No. 8 of notification no.12/2017 - Central Tax Rate, supply of services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to another Central Government, State Government, Union territory or local authority is exempt from GST. Such exemption has the following exceptions- • Service by Department of Posts • Service in relation to an aircraft or a vessel • Service of transport of goods or passengers Based on the above exemption entry, it can be said works contract service supplied by Central Government (except Dept. of Post) or State Government to IR is exempt from GST.
7	**ITC flagging for payment of GST on such Deposits with Central/State government**	Work contract service by Central/State government is exempt from GST. GST not being involved the question of ITC flagging does not arise.
8	**Applicability of GST when IR is Depositing party with a PSU**	Such supply is liable to GST under forward charge mechanism. IR is recipient.
9	**ITC flagging for payment of GST on**	ITC of works contract services procured for construction of an immovable property is specifically

	ISSUE	CLARIFICATION
	such Deposits with a PSU	restricted under GST laws except in case the immovable property is in the nature of 'plant and machinery'. The term 'plant and machinery' has been defined to mean apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods and/or services and includes such foundation and structural supports but excludes - • Land, building or any other civil structures; • Telecommunication towers; and • Pipelines laid outside the factory premises. Flagging of GST paid by IR would depend on whether the resultant asset is plant or machinery or not. If the asset is plant and machinery then flagging will be C2, if not then T3.

Railways/Units may take note of the above for necessary action and compliances.

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. General Manager. All Zonal Railways and Production Units
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. EDFX
5. EDCE(G)
6. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi
7. WGM/GST, GM/AIMS, CRIS, New Delhi

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 19/2023
जीएसटी परिपत्र सं. 05/2023
नई दिल्ली, दिनांक 26.05.2023

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल. IV

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: निक्षेप कार्यों पर जीएसटी की अनुप्रयोज्यता।
संदर्भ: उत्तर रेलवे का दिनांक 18.04.2023 का पत्र सं. 2021/टैक्सेशन/जीएसटी/मिस. कॉरेस

उत्तर रेलवे से रेलों द्वारा निष्पादित निक्षेप कार्यों तथा रेलों के लिए अन्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए उन्हीं कार्यों के संबंध में उन्हें भुगतान किए गए अग्रिमों के लिए जीएसटी की अनुप्रयोज्यता और आईटीसी के ट्रीटमेंट पर एक पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की गई है। की गई पूछताछ पर स्पष्टीकण निम्नानुसार है:

	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1	**लेन-देन की करदेयता**	अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर दर की क्रम सं. 6, 7 और 8 के तहत भारतीय रेल द्वारा निर्माण संविदा सेवा की आपूर्ति पर जीएसटी दायी है, परंतु जब वह निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया हो, अर्थात् निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय रेल द्वारा निर्माण संविदा सेवा की आपूर्ति में जीएसटी के उदग्रहण से छूट दी गई है - • अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण • गैर-व्यावसायिक निकाय • पिछले वित्त वर्ष में ऐसी राशि तक की कुल टर्नओवर वाला व्यावसायिक निकाय, जो उसे जीएसटी पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाता हो। इसके अलावा, अधिसूचना सं. 13/2017 केन्द्रीय कर (दर) की क्रम सं. 5 के तहत, भारतीय रेल द्वारा निर्माण संविदा सेवा की आपूर्ति प्रतिकूल प्रभार व्यवस्था (आरसीएम) के अंतर्गत जीएसटी के लिए दायी है।
		निक्षेप कार्य आधार पर भारतीय रेल द्वारा निर्माण संविदा सेवाओं की आपूर्ति प्रतिकूल प्रभार के अंतर्गत जीएसटी के लिए दायी है जब तक कि उसे जीएसटी के उदग्रहण से छूट न दी गई हो (अर्थात् जहां निक्षेपकर्ता फर्म प्राप्तकर्ताओं की उक्त सूची में शामिल हो)।

	मुद्दा	स्पष्टीकरण
2	**निक्षेपकर्ता फर्म के कर बीजक तैयार करना: बीजक जारी करने का समय**	जहां कहीं निर्माण संविदा सेवाओं की आपूर्ति जैसा ऊपर (1) में दिए गए अनुसार है, करयोग्य है, वहां भारतीय रेल द्वारा कर बीजक जारी करना अपेक्षित होगा। बीजक जारी करने का समय संविदात्मक शर्तों पर आधारित होगा। जहां कहीं भुगतान की नियत तारीख का संविदा से पता चलता हो, वहां बीजक, भुगतान की नियत तारीख पर जारी किया जाएगा। बहरहाल, जहां संविदा से भुगतान की नियत तारीख का पता नहीं चलता है, वहां कर बीजक भारतीय रेल द्वारा भुगतान की प्राप्ति के समय जारी किया जाएगा। इसके अलावा, यदि निर्माण संविदा सेवाओं को छूट दी गई है, वहां भारतीय रेल द्वारा आपूर्ति का बिल जारी करना अपेक्षित होगा। बहरहाल, यह नोट किया जाए कि निक्षेपकर्ता फर्म से अग्रिम निक्षेप प्राप्त होने पर, भारतीय रेल द्वारा जीएसटी कानून के अंतर्गत यथा निर्धारित विहित ब्यौरे वाला अग्रिम प्राप्ति वाउचर जारी करना अपेक्षित होगा, जहां कहीं कर बीजक/आपूर्ति के बिल को तत्काल जारी करना उपयुक्त न हो। निक्षेपकर्ता फर्म, भारतीय रेल को दिए गए ऐसे अग्रिम पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के लिए दायी होगी। यदि दिया गया अग्रिम जीएसटी से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए है, तो निक्षेपकर्ता फर्म द्वारा अग्रिम पर जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
3	**निक्षेपकर्ता फर्म के कर बीजक तैयार करना: आरसीएम फ्लैगिंग**	भारतीय रेल द्वारा निक्षेपकर्ता फर्म को निर्माण संविदा सेवाओं की आपूर्ति, जीएसटी के उदग्रहण से छूट दिए जाने तक प्रतिकूल प्रभार के अंतर्गत जीएसटी के लिए दायी है अर्थात् जब ऐसी सेवाओं की आपूर्ति अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, गैर-व्यावसायिक निकाय और पिछले वित्त वर्ष में ऐसी राशि तक की कुल टर्नओवर वाले व्यावसायिक निकाय, जो उसे जीएसटी पंजीकरण से छूट के लिए पात्र बनाता हो, को की जा रही हों।
		भारतीय रेल को, 'हाँ' के रूप में (करयोग्य मामले में) आरसीएम के साथ संविदात्मक शर्तों या आपूर्ति के बिल (छूट के मामले में) के आधार पर क्रिस जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी में कर बीजक जारी करना अपेक्षित होगा, जिसमें सभी विहित ब्यौरे निहित हों, जैसा भी मामला हो।
4	**कार्य के निष्पादन के लिए उपगत व्यय की आईटीसी फ्लैगिंग (संविदाकार को किया गया भुगतान)**	चूंकि, भारतीय रेल द्वारा उपगत व्यय विशेषत: निर्माण संविदा सेवाओं की आपूर्ति के लिए किया जाना होता है, अत: इसका आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा। वैसे तो भारतीय रेल की जावक आपूर्ति आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी के लिए दायी है, इसे आईटीसी पात्रता के प्रयोजन के लिए एक छूट प्राप्त आपूर्ति के रूप में माना जाता है। ऐसे व्ययों की आईटीसी फ्लैगिंग टी2 होगी।
5	**उपर्युक्त के लिए निक्षेपकर्ता पार्टी को क्रेडिट पास करना।**	चूंकि भारतीय रेल के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं है, अत: निक्षेपकर्ता पार्टी को क्रेडिट पास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6	**जब भारतीय रेल केन्द्रीय/राज्य सरकार के साथ निक्षेपकर्ता पार्टी हो, तब जीएसटी की अनुप्रयोज्यता।**	अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर दर की क्रम सं. 8 के तहत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अन्य केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को सेवाओं की आपूर्ति जीएसटी से छूट प्राप्त है। ऐसी छूट में निम्नलिखित छूटें शामिल हैं - • डाक विभाग द्वारा दी जा रही सेवा • किसी विमान या जहाज द्वारा दी जा रही सेवा • माल या यात्रियों के लिए परिवहन सेवा उपर्युक्त छूट प्रविष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार (डाक विभाग को छोड़कर) या राज्य सरकार द्वारा भारतीय रेल को निर्माण संविदा सेवा आपूर्ति जीएसटी से छूट प्राप्त है।
7	**केन्द्रीय/राज्य सरकार के साथ ऐसे निक्षेपों पर जीएसटी के भुगतान के लिए आईटीसी फ्लैगिंग**	केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्माण संविदा सेवा जीएसटी से छूट प्राप्त है। जहां जीएसटी शामिल नहीं किया जा रहा है, वहां आईटीसी फ्लैगिंग का प्रश्न नहीं उठता।
8	**जहां भारतीय रेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ निक्षेपकर्ता पार्टी है, वहां जीएसटी की अनुप्रयोज्यता।**	ऐसी आपूर्ति अग्रेषित प्रभार तंत्र के अंतर्गत जीएसटी के लिए दायी है। भारतीय रेल प्राप्तकर्ता है।
9	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ऐसे निक्षेपों पर जीएसटी के भुगतान के लिए आईटीसी फ्लैगिंग**	अचल संपत्ति के निर्माण के लिए खरीदी गई निर्माण संविदा सेवाओं का आईटीसी, 'संयंत्र और मशीनरी' की प्रकृति वाली अचल संपत्ति के मामले को छोड़कर जीएसीटी कानूनों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित है। शब्द संयंत्र और मशीनरी को नींव या अवसंरचनात्मक आधार द्वारा पृथ्वी पर स्थापित उपकरण, उपस्कर और मशीनरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो माल और/या सेवाओं की जावक आपूर्ति करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इसमें ऐसी नींव तथा अवसंरचनात्मक आधार शामिल हैं परंतु इसके निम्नलिखित शामिल नहीं है - • भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल संरचनाएं; • दूरसंचार टॉवर; और • कारखाना परिसरों के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें। भारतीय रेल द्वारा दिए गए जीएसटी की फ्लैगिंग इस बात पर निर्भर होगी कि क्या परिणामी परिसंपत्ति संयंत्र या मशीनरी है या नहीं। यदि परिसंपत्ति संयंत्र और मशीनरी है तो फ्लैगिंग सी2 होगी, यदि नहीं तो टी3 होगी।

रेलें/इकाइयां आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए उपर्युक्त का ध्यान रखें।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक।
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. कार्यपालक निदेशक वित्त व्यय
5. कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरी (जी)
6. प्रबंध निदेशक, रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
7. डब्ल्यूजीएम/जीएसटी, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, नई दिल्ली।